

अतिअल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना-02/2026-27

सिकरहना तटबंध प्रमंडल, मोतिहारी के अन्तर्गत तटबंधों पर उगे जंगल, झाड़ सफाई हेतु प्रयुक्त होने वाले Grass Cutter Machine की आपूर्ति कार्य हेतु निबंधित संवेदक / आपूर्तिकर्ता से मुहरबंद लिफाफे में कोटेशन आमंत्रण की जाती है।

यह कोटेशन दिनांक 11.08.2026 को अपराह्न 3.00 बजे तक अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्राप्त किया जाएगा और उसी दिन 3.30 बजे अपराह्न में कोटेशन दाताओं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जाएगा।

कटाई मशीन का Specification निम्नवत् है :-

1. Equipment weight range 6 kg-12kg.
2. Type of engine : 2-stroke petrol engine /4-stroke petrol engine
3. Starting system : Redoil Starter
4. RPM : Should be greater than 7000
5. Rated Power : 1.5 HP-2.5HP
6. Cutter Dia : Should not be less than 300 mm.
7. AMC/Dxtended Warranty : Upto 3years including company initial warranty
8. Base Level : Should be less than 90 DR.
9. Machine should be either back pack or hand held.

उपरोक्त कोटेशन से संबंधित शर्त एवं विशेष जानकारी हेतु अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय में (कार्यालय अवधि में) एवं मोबाईल संख्या- 7463889664 पर संपर्क किया जा सकता है।

नियम एवं शर्त :-

1. कोटेशनदाताओं को अपना दर अंक एवं अक्षरों में प्रति युनिट उद्धृत करना होगा।
2. कोटेशनदाता से कोटेशन अलग-अलग मुहरबंद एवं परिभाषित लिफाफा में प्राप्त किया जायेगा।
3. कोटेशन दाता को कोटेशन के साथ अपना GST निबंधन एवं पैन कार्ड का स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. भुगतान के समय कोटेशनदाता /आपूर्तिकर्ता द्वारा GST अधिनियम के अधीन अद्यतन विवरणियाँ दाखिल करने संबंधी प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. कोटेशनदाता द्वारा निविदा कागजातों के साथ संलग्न किये जाने वाले कागजातों की सत्यता के संबंध में एक घोषणा का शपथ पत्र के रूप में दिया जाना आवश्यक होगा। घोषणा पत्र का प्रारूप निम्नवत् होगा।

I the under signed do here by certify that all the statements made in the required attachments are true and correct and if found fake/forged, the under signed will be liable for infliction upon the FIT and lawful punishment as well as black listing.

6. सशर्त कोटेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
7. अद्योहस्ताक्षरी को कोटेशन रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
8. कोटेशन में उल्लेखित सामग्री की मात्रा घट एवं बढ़ सकती है तदुनुरूप आपूर्ति आदेश निर्गत किया जाएगा।
9. न्यूनतम दरदाता के द्वारा उल्लेखित सामग्री हेतु उद्धृत स्वीकृत दर वितीय वर्ष 2026-27 तक के लिए मान्य होगा।
10. सफल कोटेशन दाता के विपत्र से सभी नियमानुकूल कटौतियाँ की जायेगी।
11. किसी भी तरह का न्यायालयीय मामला होने पर सभी मामला मोतिहारी कोर्ट में निपटारा होगा।

ह0/-

कार्यपालक अभियन्ता,
सिकरहना तटबंध प्रमंडल, मोतिहारी।

दिनांक- 31-07-2026

पत्रांक- 1311 मोतिहारी,

प्रतिलिपि:-सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, सिचाई भवन, पटना को हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी बेवसाईट के माध्यम से प्रचार-प्रसार हेतु समर्पित।

कार्यपालक अभियन्ता,
सिकरहना तटबंध प्रमंडल, मोतिहारी।